कार्यालय आयकर आयुक्त-III,
एनेक्सी भवन, दूसरा तल, रेसकोर्स सर्किल,
बड़ौदा-390 007.

सं.बीआरडी/आ.आ.-III /तक./104 -17-07 /2007-2008 दिनांक : 22/07/08

निर्धारिती का नाम और पता :

ग्राम विकास ट्रस्ट

भरूच

A-18 पुष्पायन बंगला

लींक रोड भरूच

आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र
(22.04.2008 से 31.03.2011 तक वैध)
(प्रारंभिक/नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन/आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अन्तर्गत उपधारा (5) की शर्तों को पूरा किया है. तदनुसार आयकर अधिनियम की धारा 80-जी की उपधारा (5) एवं आयकर नियम की नियम संख्या 11 ए ए (4) के अन्तर्गत न्यास/संस्था को कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए अनुमोदन दिया जाता है.

निम्नांकित किसी शर्त की अवज्ञा, दुरूपयोग, कमी या उल्लघंन की स्थिति में कानून के अनुसार यह सुविधा जब्त कर ली जाएगी.

(I) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा 80-जी (5) (IV) के अधीन धारा-12 ए (बी) के अनुपालन के साथ करवाएगी.

(II) न्यास/संस्था आयकर अधिनियम की धारा 139 (4 क) के अनुसार अपनी आयकर विवरणी आयकर अधिकारी के पास नियमित जमा करेगी.

(III) दानदाताओं को दी जानेवाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किया जाएगा और उस पर यह स्पष्ट रूप से छपवाया जाएगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.

(IV) न्यास/संस्था के विलेख में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जाएगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जाएगी.

(V) यदि संस्था धारा 80-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 12 (ए), धारा 12एए (1)(बी) के अन्तर्गत पंजीकृत हैं अथवा संस्था ने धारा 10 (23), 10 (23-सी)- (VI)(VI-ए) के अन्तर्गत मंजूरी प्राप्त कर ली है तो धारा 80-जी (5) (1)(ए) के अधीन किसी व्यावसायिक गतिविध चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी, साथ ही, ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी.

(VI) धारा 80-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा.

(VII) संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का दुरूपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.

(VIII)संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जाएगी.

(IX) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा 80-जी (5) (iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा.

(X) संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए और बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कहाँ किए जा रहे हैं या किए जाने की सम्भावना हैं इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.

(XI) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से सम्पर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरन्त सूचित किया जाएगा.

(XII) धार्मिक व्यय कुल आय के 5 % से अधिक नहीं होगा.

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता.

(प्रोमिला भारद्वाज)
आयकर आयुक्त-III, बड़ौदा.

प्रतिलिपि :

01. आवेदक.
02. अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेंज-5, बड़ौदा, भरूच रेंज, भरूच एवं पंचमहाल रेंज, गोधरा.
03. निर्धारण अधिकारी, वार्ड/सर्कल
04. गार्ड फाईल.

([illegible])
आयकर अधिकारी (तक.)
कृते आयकर आयुक्त-III , बड़ौदा.